दूरभाष नं0–05278–245957
ई–मेल–rmlauregistrar@gmail.com

डॉ०राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

दिनांकः 16.06.2021

पत्रांक संख्याः लो0अ0वि0 / शैक्ष0 / 2921 / 2021

सेवा में
समस्त प्राचार्य / प्राचार्या
सभी सम्बद्ध महाविद्यालय
डॉ0रा0लो0अवध विश्वविद्यालय,
अयोध्या

विषयः सत्र् 2021–22 से एन0ई0पी0–2020 लागू किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की अनुशंसा के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यकम शैक्षिक सत्र् 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र सं0 1065 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011, दिनॉक 20 अपैल, 2021 तद्कम में कुलपति महोदय द्वारा गठित उप समिति की बैठक के निर्णयानुसार शैक्षिक सत्र् 2021–22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी, पठन–पाठन, पाठ्य संरचना, विषय संरचना एवं अन्य सम्बन्धी विषयगत् बिन्दुओं के सन्दर्भ में अस्थाई गाइडलाइन जारी करते हुए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्बन्धित गाइडलाइन के सन्दर्भ में अपने सुझाव / विचार दिनॉक 19.06.2021 तक आई0क्यू0ए0सी0 की ई–मेल www.iqac@rmlau.ac.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड करें। (नर्सिंग / पैरामेडिकल / डेन्टल / मेडिकल को छोड़कर)।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
3. आशुलिपिक, कुलसचिव / वित्त अधिकारी।
4. पत्रावली।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020: अस्थायी दिशा-निर्देश
National Education Policy-2020: Tentative Guideline

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 तथा इस सम्बन्ध में कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को संपन्न एन0ई0पी0-टास्क फोर्स की उपसमिति की बैठक की जारी की गयी कार्यवृत्त के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक गाइडलाइन जारी की जा रही है। सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है।

1. उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त **संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांकः 20 अप्रैल, 2021** में प्रदान किये गए निर्देशों को शैक्षिक सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशिका स्तर (प्रथम सेमेस्टर) से क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 अप्रैल, 2021 को संपन्न एन0ई0पी0-टास्क फोर्स की उपसमिति की बैठक में निर्णय लेते हुए सम्बन्धित कार्यवृत्त सार्वजानिक की जा चुकी है।

2. NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगें। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे।

3. **प्रवेश की व्यवस्था –**
   - सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रथम प्रवेश पर ही करेगा।
   - विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों/नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।
   - विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
   - इसके उपरान्त विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु प्रतिवर्ष के क्रम में (प्रथम सेमेस्टर अथवा द्वितीय सेमेस्टर तथा तृतीय सेमेस्टर अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में) एक माइनर/इलेक्टिव विषय किसी दूसरे विभाग/संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलेक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1, विस्तृत विवरण पृष्ठ-05 पर बिन्दु-09)।
   - प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार-सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम लेना होगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1, विस्तृत विवरण पृष्ठ-07 पर बिन्दु-13)।

Scanned with CamScanner

- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम छह-सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यगामी (Co-curricular) विषय लेना होगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1, विस्तृत विवरण पृष्ठ-06 पर बिन्दु-12)।

4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया –

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी । इस सुविधा का लाभ लेते हुए छात्र चयनित तृतीय मेजर विषय मात्र को ही परिवर्तित कर सकेगा।

5. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि –

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ़ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमे प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं है।

6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें –

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव विषयों पर ही लागू होगी। यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारस्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करेंगें।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

7. परीक्षा व्यवस्था –

- सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी।
- विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में संस्तुत भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं को समरूपता की दृष्टि से संशोधित करते हुए सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बंधित 25 प्रतिशत अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा –
  - 5 प्रतिशत अंक छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति से सम्बन्धित होंगे
  - 5 प्रतिशत अंक छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट-प्रेजेंटेशन से सम्बंधित होंगे
  - 15 प्रतिशत अंक छात्र के मिड-सेमेस्टर क्लास-टेस्ट से सम्बन्धित होंगे
  - सतत आन्तरिक मूल्यांकन की यह व्यवस्था कृषि एवं विधि संकाय के विषयों पर लागू नहीं होगी। तदसम्बन्ध में संबन्धित नियामक निकाय द्वारा संस्तुत व्यवस्था मान्य होगी।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय आधार पर होगी।

8. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी। तद्क्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा -

- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पांठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोगा प्रदान किया जायेगा (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- तृतीय वर्ष तक 138 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- चौथे वर्ष तक 194 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- पांचवे वर्ष तक 246 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- छठे वर्ष तक 270 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research प्रदान किया जा सकता है (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।
- प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में (अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में) अनुसंधान सम्बन्धी Research Thesis जमा करना होगा जिसके evaluation के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संस्तुति के आधार पर पी-एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जायेगी (सन्दर्भ – संलग्नक-1)।

Scanned with CamScanner

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधानों के आलोक में उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित समान पाठ्यक्रम यथावत अथवा 30% की अनुमन्य सीमा तक संशोधन के साथ बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के माध्यम से अंगीकार किया जाना है।
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर मे प्रत्येक सेमेस्टर के प्रश्पत्रों के शीर्षक वही होंगे जो उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित समान पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित हैं।
- यूनिफार्म क्रेडिट और ग्रेड्गि सिस्टम का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध UGC GUIDELINES ON ADOPTION OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM द्वारा प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाएगी; महाविद्यालयीय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगें।
- स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षो में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को समन्वय स्थापित करना होगा।

9. माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन –

- माइनर विषय का स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता के आधार पर किया जाना है। चूँकि यह पाठ्यक्रम दूसरे विभाग/संकाय से चयनित किया जाना है, अतः यह पाठ्यक्रम उस विभाग का नियमित पाठ्यक्रम ही होगा। उदाहरण स्वरुप - विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'इंडियन कांस्टिट्यूशन', जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है अथवा 'मॉडर्न हिस्ट्री', जो कला संकाय के इतिहास पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है, चयनित कर सकता है। वही छात्र यदि 03 मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित करने के साथ 01 माइनर विषय विज्ञान संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है।
- स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में pre-requisite का विशेष रुप से ध्यान रखना है। छात्र मेजर या माइनर के रूप में वही विषय चयनित कर सकते हैं, जिसके लिए वह pre-requisite को qualify कर रहे हों।
- छात्र किसी पाठ्यक्रम के उन्ही प्रश्नपत्रों को माइनर के रूप में चयनित करेगा जिसका सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 हो।
- छात्र को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। उदाहरण के लिए – यदि छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर के रूप में चयनित करता है तो उसकी परीक्षा उसे प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी; वह यदि प्रथम के स्थान पर द्वितीय सेमेस्टर में माइनर विषय चयनित करता है तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। समान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।
- छात्र यदि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा उसमें फेल हो जाने के बाद किसी दूसरे विषय को माइनर के रूप में लेना चाहत है तो वह द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा कर सकता है.
- प्रवेश प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरमीडिएट के विषय वर्ग (यथा- कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग) के साथ उसके द्वारा इन्टर में चयनित विषय (यथा- विज्ञान वर्ग के लिए विषय समूह 1-

Scanned with CamScanner

गणित, भौतिकी, रसायन; 2-रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान; 3-गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि) को ध्यान में रखते हुए मेजर/माइनर/इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- शासन द्वारा सन्दर्भित प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में यह अंकित है की सम्बंधित प्रश्नपत्र को कौन से छात्र माइनर के रूप में ले सकते है; तथापि सुलभ सन्दर्भ हेतु विश्वविद्यालयीय व्यवस्था को देखते हुए मात्र सत्र 2021-22 के प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची निम्नवत प्रस्तुत की जा रही है. आगामी सेमेस्टर/सत्रों के लिए पृथक से सूची जारी की जाएगी.

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची
(मात्र सैद्धांतिक विषय)

SN	Subject	Course Code	Minor/Elective Paper	Availability	Credit
1	Ancient History, Culture, Archaeology	A150101T	Early Civilization of India & World	Open for all	6
2	History	A050101T	Ancient and Early Medieval India (Till 1206 A.D.)	Open for all	6
3	Commerce	C010101T	Business Organization	Open for all	6
4	Commerce	C010102T	Business Statistics	Open for all	6
5	Commerce	C010103T	Business Communication	Open for all	6
6	Commerce	C010104T	Introduction to Computer Application	Open for all	6
7	English	A040101T	English Prose and Writing Skills	Open for all	6
8	Sanskrit	A020101T	संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण	Open for all	6
9	Urdu	A030101T	Urdu Zaban-O-Adab Ki Tareekh Aur Qawaid-O-Insha	Open for all	6
10	Hindi	A010101T	हिन्दी काव्य	Open for all	6
11	Law	G010101T	Introduction to the Indian Legal System	Open for all	6
12	Philosophy	A100101T	Indian Philosophy	Open for all	6

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए उपलब्ध माइनर/इलेक्टिव विषयों की सूची
(सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय)

SN	Subject	Course Code	Credit	Minor/Elective Paper	Availability
1	Botany	B040101T	4	Microbiology & Plant Pathology	Biology in 12th
		B040102P	2	Techniques in Microbiology &Plant Pathology	
2	Chemistry	B020101T	4	Fundamentals of Chemistry	Chemistry in 12th
		B020102P	2	Quantitative Analysis	
3	Computer Science	B070101T	4	Problem Solving using Computer	Open for all
		B070102P	2	Software Lab using Python	
4	Defence and Strategic Studies	A120101T	4	Conceptual Aspects of war	Open for all
		A120102P	2	Basics of Operational Exercises-I	
5	Fine Arts	A140101T	4	History of Art-1	Open for all
		A140102P	2	Drawing and color studies	
6	Geography	A110101T	4	Physical Geography	Open for all
		A110102P	2	Elements of Map and Surveying	
7	Geology	B090101T	4	Physical and Structural Geology	Science in 12th
		B090102P	2	Practical: Structural Geology	
8	Home Science	A130101T	4	Fundamentals of Nutrition and Human Development	Open for all
		A130102P	2	Cooking skills and healthy recipe development	
9	Mathematics	B030101T	4	Differential Calculus & Integral Calculus	Mathematics in 12th
		B030102P	2	Mathematics Practical	
10	Physical Education	E020101T	4	Elementals of Physical Education	Open for all
		E020102P	2	Fitness and Yoga	
11	Physics	B010101T	4	Mathematical Physics & Newtonian Mechanics	Physics or Maths in 12th
		B010102P	2	Mechanical Properties of Matter	
12	Political Science	A060101T	4	Indian National Movement & Constitution of India	Open for all
		A060102P	2	Awareness of Rights &Laws	
13	Psychology	A090101T	4	Basic Psychological Processes	Open for all

Scanned with CamScanner

		A090102P	2	Psychology Lab Work	
14	Social Work	A160101T	4	Fundamentals of Social Work	Open for all
		A160102P	2	Introduction to Field Work Practice	
15	Sociology	A070201T	4	Society in India: Structure, Organization & Change	Open for all
		A070202P	2	Writing skill development on topics of Contemporary Sociological Importance	
16	Statistics	B060101T	4	Descriptive Statistics (Univariate) and Theory of Probability	Mathematics in 12th
		B060102P	2	Descriptive Data Analysis Lab (Univariate)	
17	Zoology	B050101T	4	Cytology, Genetics and Infectious Diseases	Biology in 12th
		B050102P	2	Cell Biology & Cytogenetics Lab	

- उपरोक्त सूची में प्रायोगिक विषयों के सन्दर्भ में छात्र को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह सम्बंधित विषय के मात्र सैद्धांतिक अंश का अध्ययन कर 04 क्रेडिट प्राप्त करे अथवा सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक अंश का भी अध्ययन का 06 क्रेडिट प्राप्त करे.

10. स्नातक प्रथम-सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए Pre-requisite (पात्रता) –

- विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान वर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।

11. कला संकाय के पाठ्यक्रमों हेतु विषय-संयोजन –

- कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के सन्दर्भ में subject combination (विषय-संयोजन) की व्यवस्था विश्वविद्यालय पत्रांक लो0अ0वि0/शैक्ष0/2018/11078, दिनांक 03-07-2018 में उल्लेखित निर्देशों को तृतीय मेजर विषय, इलेक्टिव/माइनर विषय, अनिवार्य सहगामी विषय और रोजगार-परक विषय के चयन के लिए लागू किये जाने वाले नए नियमों की सीमा तक संशोधित करते हुए पूर्ववत जारी रहेगी। सामान प्रक्रिया विज्ञान विषयों के सन्दर्भ में भी अनुपालित की जाएगी।

12. अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-curricular) -

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत होगा -

Scanned with CamScanner

- प्रथम सेमेस्टर: संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
- द्वितीय सेमेस्टर: विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
- तृतीय सेमेस्टर: शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
- चतुर्थ सेमेस्टर: मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
- पंचम सेमेस्टर: खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- षष्ठम सेमेस्टर: प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

13. **कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रम -**

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में महाविद्यालयों के स्तर पर उच्च-शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।
- कौशल-विकास/रोजगार-परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में महाविद्यालय उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0 अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते है। हस्ताक्षरित अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी।
- शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल-विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में MoU (अनुबन्ध पत्र) हस्ताक्षरित करें, जिसमें प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।
- चूँकि कौशल-विकास (Skill Development)/ वोकेशनल प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है अतः महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन के आंकलन के उपरान्त कौशल-विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-profit-No-Loss के आधार पर अपने स्तर से करें।
- यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट-सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल-विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु वोकेशनल कार्यक्रमों की सन्दर्भ सूची निम्नवत दी जा रही है –

  Fashion Designing, Tailoring and Embroidery, Photography and Videography, Financial Management, Information Technology, Yoga, Computer Application,

Scanned with CamScanner

Tourism & Hospitality, Medical Laboratory Technology, Ophthalmic Technician, Multipurpose Health Worker (Female), Automobile, Food Processing, Carpentry, Electrician, Plumbing, Web designing, Bakery and Confectionery, Stenography (Hindi & English), Typewriting (Hindi and English), Accountancy and Auditing, Horticulture, Foreign Language, Event Management, Pottery, Banking and Finance, Beautician, Clinical Psychology, Cookery, House Keeping, Journalism & Mass Communication, Disaster Management, Physical Fitness and Gym trainer, Handicraft, Jewelry Design, Marketing & Salesmanship, Legal Services Assistance, Physiotherapy Technician, Interior Design and Decoration, Crop Production and Management, Fisheries, Dairying, Sericulture, Refrigeration & Air Conditioning, Hospital and Health Care Management, Clinical Biochemistry, Clinical Microbiology.

- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय साप्ताहिक आधार पर आधे या एक दिन का प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय-वस्तु (Study/Training Course Content/Module) का निर्धारण महाविद्यालय अपने स्तर से करते हुए उसे अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

14. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जिला समन्वयक समिति':

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया के सरलीकरण, प्रत्येक महाविद्यालय तक सूचनाओं के समुचित आदान-प्रदान, तद्संबंध में समस्याओं के त्वरित निदान और सम्पूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एन0ई0पी0-टास्क फोर्स और सम्बद्धता परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले में "एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति" का गठन किया गया है।
- विश्वविद्यालय स्तर पर गठित एन0ई0पी0-टास्क फोर्स में सम्बद्धता परिक्षेत्र के 07 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्राचार्य-गण सम्बन्धित जिले के सन्दर्भ में "एन0ई0पी0 2020 जिला समन्वय समिति" के अध्यक्ष नियुक्त किये गए है।
- जिला-समिति के सदस्य आनुपातिक रूप से क्षेत्र के महाविद्यालय को चयनित करते हुए उनसे NEP-2020 को लागू करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करेंगे।
- जिला समिति के अध्यक्ष नियमित अन्तराल पर समिति की बैठक करते हुए प्रक्रिया की समीक्षा करेंगें और आवश्यकतानुसार टास्क-फोर्स से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

15. परीक्षा शुल्कः

- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया में वर्तमान में वार्षिक आधार पर संचालित समस्त पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 से प्रारम्भ करते हुए अगले 05 वर्षों में सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित हो जायेंगे। इस कारण सत्र 2021-22 में स्नातक प्रथम वर्ष से प्रारम्भ कर क्रमागत वर्षों में सम्बंधित पाठ्यक्रमों की वर्ष में दो

Scanned with CamScanner

बार परीक्षाएं संपन्न करानी होंगी, अतः विश्वविद्यालय के अन्य संचालित सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व परीक्षा-शुल्क जमा कराये जाने की व्यवस्था तद्सम्बंध में भी जारी रहेगी।

संलग्नक -1

Proposed Year-wise Structure of UG/PG Programs (04-12-2020)

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training Survey Project	Credits		(Min.-Max Total Credits) After completion (Minimum Credits) [Max Duration in years]
		Major 4 5 6 Credits	Major 4 5 6 Credits	Major 4 5 6 Credits	Minor Elective 4 5 6 Credits	Minor 3 Credits	Minor 2 Credits	Major 3 6 8 Credits			
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Other Department Faculty	Vocational Faculty	Co-Curricular Course	Inter Intra Faculty related to main Subject	Total	Min.-Max of the semester year	
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	[illegible]	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29	(50-52) (46) [4] Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		[illegible]	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29 (50-52)	
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29	(100-104) (92) [7] Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		[illegible]	1		18+(0/4/5/6)+3+2	23-29 ([illegible])	
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25	(150-154) (138) [10] Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25 (50)	
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (6)	20+(0/4/5/6)+6	26-32	(206-212) (194) [12] Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (5)	20+(0/4/5/6)+6	26-32 (56-58)	
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26	(253-264) (246) [16] Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20+6	26 (52)	
6	XI	2 (6)	1 (4) Research Methodology					1 (8)	16+8		(270) [4] PGDR in Subject
6 7 8	XII XVI							Ph.D Research			Ph.D. in Subject

Scanned with CamScanner

Notes: (a) 1, 2 & 5 (in blue ink) are the number of courses papers in that semester of that subject **(b)** Credits are given in (in red ink). **(c)** A student willing to take admission to the first year of Higher Education program after 12th class will have to choose a Faculty with two main (Major) subjects for first year. Eligibility to such choice will have pre-requisites. Apart from two major subject (s)he has to choose in each semester one more (Major) subject of any faculty, one minor/ elective course of other faculty, one vocational course of his choice and one compulsory co-curricular course

Examples, Elaborations & Notes

Year	Semester	Minor/ Elective Courses Examples	Co-Curricular Courses	Vocational courses	Practical hands on Industrial Training/ Survey/ Project	Subject to choose	Pre-requisite in 12th
1	Sem. I	Language Course,	Food and Nutrition	A student chooses one vocation such as plumbing, electrician etc.		Physics	Physics & Maths
	Sem. II	Disaster Management	Health and Hygiene	Same vocation's course in each semester with increasing difficulty		Chemistry	Chemistry
2	Sem. III	Indian Constitution Accounts, with Tally	Physical Education	Half/ full day per week allocated in the time table		Computer Science	Computer Sc Or Maths
	Sem. IV	Waste Management, Web Desinging	Human values and Environment Studies	For special children special vocational courses		History	None
3	Sem. V	Indian History Vedic Studies	Analytic Ability and Digital Awareness		Inter-Intra Faculty related to main subject (inside campus)	BBA	None
	Sem. VI	Data Analysis, Vedic Maths	Communication Skills and Personality Development		-do-		
4	Sem. VII				Inter Intra Faculty related to main subject (outside campus) Full day per week allocated in the time table		
	Sem. VIII				-do-		
5	Sem. IX				Inter Intra Faculty related to main subject (inside outside campus)		
	Sem. X				-do-		

Scanned with CamScanner